Uniform criteria for DTH companies and pay channels

*582. SHRI MAHENDRA MOHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to TRAI regulations for CAS, each consumer must pay a maximum of Rs. 5 for every pay channel, while there is no such stipulation for DTH, as the regulator believes competition provides sufficient price control;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are taking any action to provide level playing field and enforce uniform criteria for the DTH companies to offer channels as per the choice of viewers; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has informed that in large parts of the country, the incumbent cable TV services are not required by regulatory mandate to provide their services through an addressable system. CAS has been mandated for cable TV services in notified areas which is a very limited part of the country. Throughout the non-CAS areas, the incumbent cable television operators, who enjoy the dominance in the market, are not required by any regulatory mandate to introduce an addressable system. Therefore, regulation of pricing for DTH services is likely to be interpreted to mean that the new entrant DTH operators are asymmetrically regulated against the incumbent mode of delivery, which has dominant market share.

(c) and (d) The cable TV network services which have dominant market share are not required by any regulatory mandate to introduce addressable systems. Therefore, Government do not think it fit to regulate pricing for DTH services which have inbuilt addressable system. However, TRAI is free to intervene at any point of time against any retail or wholesale tariff of DTH operators in any part of country if such tariff packages are found to be not consumer friendly or not transparent in the offer.

श्री महेन्द्र मोहन: माननीय सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आज नंबर आ गया, नहीं तो ऐसा प्रतीत होता था, क्योंकि जितने प्रश्न पूछे जा रहे थे, नंबर नहीं आएगा। सर, मेरा यह प्रश्न आम जनता से संबंधित है। जब CAS और DTH लागू किया गया था, तो यह आशा की गई थी कि आम जनता को कम खर्चे पर आसानी से TV देखने को मिलेगा, लेकिन आज यह हो रहा है कि CAS द्वारा पर चैनल पांच रुपए जो एक मैक्सिमम दर थी, उसको मिनिमम करके चार्ज किया जा रहा है और विशेष रूप से फ्री टू एअर चैनल्स हैं, उनके लिए भी CAS और DTH वाले लोगों से पैसा ले रहे हैं। कम से कम जो फ्री टू एअर चैनल्स हैं, उनके लिए सरकार की ओर से CAS और DTH वालों को आदेश दिए जाएं कि ये चैनल्स जनता को फ्री में दिखलाए जाएं, उनका कोई भी पैसा उनसे न लिया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही है? क्योंकि इसका बहुत गलत प्रयोग हो रहा है यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी है। सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए कि फ्री टू एअर चैनल्स जनता को फ्री में दिखलाए जाएं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य को पहले यह बता देना चाहता हूं कि फ्री टू एअर चैनल्स की कोई फीस नहीं होती है, उनको बेसिक कंपोनेंट टिअर की सर्विस का पेमेंट करना होता है, जिसको सर्विस चार्ज कहा जाता है और वह इतना मामूली है कि CAS के हिसाब से, 30 से आगे भी चैनल चलें, तो 77/- रुपए से उसका काम चल जाता है। इसका मतलब एक-एक फ्री टू एअर चैनल के लिए ढाई रुपए से कम या थोड़ा-बहुत दस पैसा ज्यादा लगता है। यह उसको देना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिक टिअर फ्री स्वीकृत है, नहीं तो केबल वाले कैसे दिखलाएंगे। जहां तक पे-चैनल का है, निश्चित रूप से हमने पांच रुपए कर दिया है, ताकि सबको उसका चैनल उपलब्ध हो। इससे केबल वाले और हमारे ग्राहक, दोनों खुश हैं। जहां तक DTH का है, वह अलग है, उसके लिए केबल की जरुरत नहीं होती है। DTH जहां-जहां पहुंच गया, उनका पूरा खर्चा CAS से कम होता है। मेरे पास ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर आदरणीय सांसद चाहें तो मैं डिटेल में उनको पेश कर सकता हूं।

श्री महेन्द्र मोहन: बहुत-बहुत आभारी हूं, मैं उन आंकड़ों को पाना चाहूंगा। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल DTH पर और CAS के द्वारा दिखलाए जा रहे हैं, इनको जो लोग देखते हैं, जो जनता देखती है, उन्हीं से दो रुपए या ढाई रुपए के हिसाब से पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि DTH ऑपरेटर्स और CAS ऑपरेटर्स, जो चैनल्स हैं, जो उसके प्रोडयुसर्स हैं, उधर से अपने चैनल्स को दिखाने के लिए उनसे अनाप-शनाप पैसे लेकर एकत्रित करते हैं। वहां से भी वे पैसा पाते हैं और ये जो फ्री टू एअर चैनल्स हैं, इसमें भी DTH ऑपरेटर्स सारे चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि दो रुपए या ढाई रुपए में दिखलाया जाए, यह अच्छी बात है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि दो रुपए या ढाई रुपए में दिखला रहा हो, बल्कि ये मिनिमम 107/- रुपए

ले रहे हैं। दोनों के नियम एक होने चाहिएं, दो रुपए या ढाई रुपए पर चैनल लिया जाए। वही सही है, लेकिन उन्हें यह भी आदेश दिए जाएं कि फ्री टू एअर चैनल्स को, बगैर चैनल्स के जो ऑपरेटर्स हैं, जो आपके चैनल्स को दिखला रहे हैं, चाहे टाटा स्काइ दिखला रहा है या जी दिखला रहा है, जो फ्री टू एअर चैनल्स है, उन्हें फ्री दिखलाएं। यह मेरा आपसे निवेदन है और उधर ऑपरेटर्स से पैसा न लिया जाए, जो कि यह कंटेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति जी, बेसिक टिअर की फी लेकर इसको हम कैसे लगाएंगे? फ्री टू एअर का मतलब यह नहीं है कि पूरा फ्री घुस गया है। ऐसा नहीं है। उनको तो एक माध्यम के द्वारा भेजना है, एक माध्यम की तरह उसको पेश करना है और उस माध्यम के लिए बेसिक टिअर भी होता है।

श्री सभापति: क्या बोल गए आप?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सर, मैंने कहा कि फ्री टू एअर का मतलब यह नहीं है कि पूरा मुफ्त में आपके घर में घुस जाए। उसको घुसाने के लिए भी कोई इंतजाम करना चाहिए और उस इंतजाम के लिए बेसिक टिअर फी तो लेना ही चाहिए। यह जो अभी सर्विस टैक्स है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री महेन्द्र मोहन: जरुर लें। दो, ढाई रुपए जरुर लें, लेकिन लाखों रुपए उधर से ले रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: आप सुनिए तो ...(**व्यवधान**)... एक मिनट। हमारे पास ऐसी कोई निश्चित शिकायत किसी ग्राहक ने अभी तक नहीं की है कि मुझे ठगकर, जो रेट है उससे, ज्यादा पैसा मेरे से वसूल किया गया है। अगर एक भी शिकायत आएगी, तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द करने का हमारे पास प्रावधान है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Camps for Sri Lankan refugees

*583. DR. K. MALAISAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the refugees who fled to Indian refugee camps from Sri Lanka during the recent encounter between LTTE and the Sri Lankan